

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश,
9, जगत नारायण रोड, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 22/07/2014

संख्या-एफएसडीए/इग/1796/

-:कार्यालय आदेश:-

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के अन्तर्गत तकनीकी व्यक्ति की क्षमता परीक्षण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिनांक 04.07.2014 को लिये गये साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में उल्लिखित औषधि निर्माता को प्रदत्त औषधि निर्माण लाइसेंसों पर कालम-4 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्माण केमिस्ट (मैसर्स) के रूप में तात्कालिक प्रभाव से अनुमोदित किया जाता है-

क्र०सं०	अभ्यर्थी एवं उसके पिता/पति का नाम	निर्माण इकाई का नाम	अनुमोदन का विवरण
1	2	3	4
1)	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राज किशोर शर्मा	मैसर्स यूनीकेम लैबोरेटरीज लि०, गाजियाबाद	फार्म-25, 28 पर लिक्विड ओरल तथा स्माल वाल्यूम इन्जेक्शन हेतु अनुमोदित
2)	सुश्री रूकईया अलमास पुत्री अ० वहीद	मैसर्स डर्मिस केयर इण्डस्ट्रीज, कांठ, मुरादाबाद	फार्म-25 पर सर्जिकल ड्रेसिंग-गॉज बैण्डेज हेतु अनुमोदित
3)	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री राजपाल सिंह	मैसर्स आरएक्स गुड हेल्थ प्रा०लि०, बागपत	फार्म-25, 28 पर टैबलेट, कैप्सूल हेतु अनुमोदित
4)	श्री अरुण कुमार शर्मा पुत्र श्री हरीकान्त शर्मा	मैसर्स स्टैंडमेड प्रा०लि०, लखनऊ	फार्म-25, 28 पर टैबलेट हेतु अनुमोदित

(ए०एल० आर्या)

औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ०प्र०

संख्या-एफएसडीए/इग/1796/

4539-40

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सभी सम्बन्धित औषधि निर्मातागण।
2. सभी सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(ए०एल० आर्या)

औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ०प्र०